न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या सीजीएमएस/ 2021/304

सप्त कुमार पुत्र श्री नेमीचंद जाति कुम्हार तनवासी रेनवाल तहसील रेनवाल जिला जयपुर..............अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिए तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।
2. माफी मंदिर श्री गोपीनाथ जी किशनगढ़ रेनवाल जरिए पुजारी..................................रेस्पोंडेंट

निर्णय : दिनांक 22 दिसंबर 2021

1. यह प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 07.01.2016 न्यायालय उपखंड अधिकारी सांभर लेक जिला जयपुर मिसल संख्या 67/2014 में पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष प्रार्थणनापत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत प्रस्तुत कर कथन किया गया कि ग्राम रेनवाल तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर जागीरदारी के समय से जागीरी गांव था। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर ग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने पर खसरा नंबर 239 धारा 9 के तहत केसा पुत्र सरूपा के नाम खातेदारी दर्ज की गई जिस का स्पष्ट उल्लेख भू प्रबंधन विभाग की खतौनी बंदोबस्त संवत 2011 से 2029 के कॉलम संख्या पांच में स्पष्ट अंकित है। जमाबंदी जो कि कृषकों का राइट ऑफ रिकॉर्ड है उसमें संवत 2011 से 2029 में खसरा नंबर 239 में केशा पुत्र स्वरूपा कॉम कुम्हार के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार उन्हें उत्तराधिकार एवं पूर्ण अंतरण के कानूनी अधिकार प्राप्त थे जिन्हें बिना सुनवाई एवं विधिक प्रकिया के विलोपित नहीं किया जा सकता है। केसा की मृत्यु के उपरांत उक्त भूमि का विरासत का नामांतरण प्रार्थी के नाम से स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है तथा प्रार्थी उक्त भूमि पर निरंतर काबीज काश्तकार है। यह प्रविष्टि जमाबंदी संवत 2049 से 2062 के खाता संख्या 391 में खसरा नंबर 239/3 हेतु दर्ज की हुई है जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। दिनांक 2/8 /2004 को नामांन्तरण संख्या 2564 के द्वारा उक्त भूमि मंदिर माफी श्री गोपीनाथ जी के नाम अंकित कर दी गई जबकि यह भूमि कभी भी मंदिर की खातेदारी एवं खुदकाश्त की भूमि नहीं रही है। उक्त नामांकन स्वीकार करने से पूर्व प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई तथा नहीं प्रार्थी की कोई सुनवाई की गई। विवादित नामांतरण संख्या 2564 एक लिपिकीय भूल से दर्ज कर स्वीकार किया गया है जिसे दुरुस्त किया जाना अति आवश्यक है। उक्त दुरुस्ती हेतु प्रार्थी ने तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल से भी निवेदन किया गया परंतु उनके द्वारा भी उक्त दुरुस्ती नहीं की जाकर दिनांक 17.06.2014 को बताया गया कि वह न्यायालय में इस हेतु आवश्यक चारा जोही करें। परिणाम स्वरूप यह प्रार्थणना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा उपयुंक्त कथन कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थणना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील अधीन निर्णय दिनांक 07.06.2016 पारित कर प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि को दुरुस्त करने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल को धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेफरेंस प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रखते हुए आवेदन का निस्तारण फंरमा दिया गया जिस से पीड़ित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट को जरिए नोटिस तलब किया गया। राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री चंद्रशेखर बेनीवाल उपस्थित आए तथा रेस्पोंडेंट संख्या दो बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। प्रकरण में बहस सुनी गई।

4. अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 239/3 ग्राम रेनवाल अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है जो पूर्व में अपीलार्थी के पिता केसा पुत्र स्वरूपा की खातेदारी में दर्ज थी। जमाबंदी खतौनी बंदोबस्त संवत 2011 से 2029 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के पिता केसा पुत्र स्वरूपा के नाम बतौर काश्तकार खाना नंबर 5 में दर्ज रिकॉर्ड रही है। इसके पश्चात उक्त भूमि विरासत में अपीलार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज रही है तथा विभाजन के उपरांत उसके नए खसरा नंबर 239/3 हुए हैं जो अपीलार्थी की खातेदारी भूमि है। नायब तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल द्वारा नामांतरण संख्या 2564 के द्वारा अपीलार्थी के खातेदारी अधिकारों को बिना किसी रेफरेंस के तथा बिना किसी सक्षम आदेश के समाप्त किया गया है जो कि अवैध है। उक्त नामांतरण राज्य सरकार

के परिपत्र दिनांक 13.12.91 का हवाला देकर माफी मंदिर श्री गोपीनाथ जी के नाम अंकित किया गया है जबकि उक्त परिपत्र में खातेदारी अधिकारों को समाप्त करने के कोई निर्देश नहीं थे। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा भी समय–समय पर विभिन्न आदेश जारी कर स्थिति को स्पष्ट किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 32 राज 6/ 200/14 दिनांक 24 मार्च 2007 तथा परिपत्र दिनांक प. 3 (2) राज 6/7/19 दिनांक 25.11.2011 एवं क्रमांक 32 राज 6/2009/पार्ट/5 दिनांक 12 सितंबर 2018 जारी कर ऐसे प्रकरणें में अवैध रूप से विलोपित खातेदारी अधिकारों को लिपिकिय भूल मानकर पुर्नस्थापित किए जांने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपील अधीन आदेश राज्य सरकार के उक्त वर्णित परिपत्रों के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में नामांतरण संख्या 2564 को अनुचित होना निर्णय किया गया है तथा प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए खतौनी बंदोबस्त की कॉलम संख्या 5 के अनुसार प्रविष्टि दुरुस्त करने के आदेश प्रदान किए गए हैं परंतु अनुचित रूप से प्रकरण को धारा 82 के तहत रेफरेंस करने हेतु तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थणना पत्र को पूर्ण रूप से स्वीकार कर अवैध रूप से स्वीकृत नामांतरण संख्या 2564 को निरस्त करते हुए पूर्व की प्रविष्टियों को बहाल किए जाने के आदेश प्रदान किए जाने चाहिए थे जो नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक आदेश जारी किया गया है जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थणना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश से होने तथा अधिवक्ता द्वारा जानकारी नहीं दिए जाने के कारण अपील अधीन आदेश की जानकारी उसे नहीं हो पाई अतः प्रार्थणना पत्र अंतर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाए। अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि अवैध आदेश को चुनौती दिए जाने में विलंब का होना बाधक नहीं है. अतः अपील अंदर मियाद सुमार की जाकर अपील स्वीकार की जाए तथा विवादित नामांतरण संख्या 2564 निरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थी की खातेदारी बहाल की जाए।

5. अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि मंदिर की माफी की भूमि रही है तथा मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने के कारण उसकी भूमि की खातेदारी किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती है। वादग्रस्त नामांतरण संख्या 2564 मंदिर मूर्ति की खातेदारी बहाल करने हेतु राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार ही स्वीकार किया गया है तथस अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सांभर द्वारा उचित तौर पर प्रार्थी का प्रार्थणना पत्र अंतर्गत धारा 136 अस्वीकार किया गया है। प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल निहित नहीं है अतः अपील खारिज फरमाई जाए।

6. हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता अभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कथन एवं राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न परिपत्र आदि का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब के संबंध में नरम रुख अपनाते हुए तथा अपीलर्थी के प्रार्थणना पत्र में वर्णित कथन को स्वीकार करते हुए प्रार्थणना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अंदर मियाद सुमार किया जाता है। अपील के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज मिसल बंदोबस्त संवत 2011 से 2029 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 239/3 पूर्व में मंदिर श्री गोपीनाथ जी की जागीर की भूमि रही है तथा अपीलार्थी के पूर्वज उक्त खतौनी बंदोबस्त के खाता संख्या 5 में बतौर कृषक दर्ज रिकॉर्ड रहे हैं। जागीर पुर्नगठन अधिनियम की धारा 9 के अनुसार जागीर समाप्ति के पश्चात अपीलार्थी के पूर्वज वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गए थे तथा तदनन्तर में उक्त खातेदारी अधिकार अपीलार्थी को विरासत में प्राप्त हो चुके थे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 15 जुलाई 2015 जो तारा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य की विभिन्न याचिकाओं को निस्तारित करते हुए पारित किया गया है उसमें स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि मंदिर या डोली की भूमि के रूप में प्रदत जागीर की भूमि जिसमें मंदिर खुदकाश्त नहीं है तथा भूमि पुजारी अथवा सेवायत से भिन्न किसी व्यक्ति की काश्तकारी की भूमि है तथा वह व्यक्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारंभ के समय काश्तकार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है वह खातेदार काश्तकार की श्रेणी में होगा तथा जागीर पुनग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अंतर्गत उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा भी परिपत्र दिनांक 24.05.2007 तथा परिपत्र दिनांक 25.11.2011 जारी कर राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों में यदि भूमि मंदिर की खातेदारी में दर्ज कर दी गई है तो उसे लिपिकीय त्रुटि माना जाकर दुरुस्त किया जाए। इसी क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 12 सितंबर 2018 को भी परिपत्र जारी कर इस प्रकार अवैध रूप से विलोपित खातेदारी अधिकारों को लिपिकीय भूल मानकर धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत दुरुस्त किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15 जुलाई 2015 एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी उपयुणक्त विभिन्न परिपत्रों से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 239/3 अपीलार्थी के पूर्वज एवं तत्पश्चात

संभागीय आयुक्त

अपीलार्थी की खातेदारी भूमि रही है जिसे अवैध रूप से नायब तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल द्वारा बिना किसी विधिक प्रावधान के एवं बिना किसी रेफरेंस के तथा सक्षम आदेश के अभाव में मंदिर श्री गोपीनाथ जी के नाम जरिए नामांतरण संख्या 2564 दर्ज किया गया है जो कि विधि विरुद्ध है एवं दुरुस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सांभर द्वारा भी अपने अपील अधीन आदेश में यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि जमाबंदी खतौनी बंदोबस्त संवत 2011 से 2029 में खाना संख्या पांच के अनुसार अपीलार्थी के पूर्वज की काश्तकारी में दर्ज रिकॉर्ड रही है तथा उक्त प्रविष्टि अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किए ,जाने को उचित माना है परंतु इस हेतु तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल को धारा 82 के तहत रेफरैंस करने हेतु कहा गया है जो कि अनुचित है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त अवैधानिक इंद्राज परिवर्तन को प्रार्थणना पत्र अंतर्गत धारा 136 स्वीकार कर दुरुस्त किए जाने के स्पष्ट आदेश प्रदान करने चाहिए थे जो कि नहीं किए गए हैं। वादग्रस्त नामांतरण संख्या 2564 बिना किसी सक्षम आदेश के तथा विधि विरुद्ध स्वीकार किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए तथा पीड़ित पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना स्वीकार किया गया है जो विधिक रुप से उचित नहीं है तथा निरस्त किए जाने योग्य है। इसी प्रकार अपील अधीन आदेश दिनांक 7.01.2016 न्यायालय उपखंड अधिकारी सांभर लेक विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं है तथा अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

7. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सांभर लेक द्वारा पारित अपील अधीन आदेश दिनांक 7 जनवरी 2016 तथा नामांतरण संख्या 2564 ग्राम रेनवाल पर पारित आदेश दिनांक 2.08.2004 को अपीलार्थी की हद तक निरस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड की पूर्व प्रविष्टियों को यथावत बहाल रखा जाता है। तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार, पश्चातवरती प्रविष्टियां दर्ज कर अमल दरआमद करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

........निर्णय आज दिनांक 22.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

संभागीय आयुक्त
जयपुर।